

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग  
जी. 3 राजमहल रजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

e-mail- caodlb@gmail.com

Fax No.- 2222403

Tel No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ड)लेखा/डीएलबी/सड़क निर्माण/2017-18/39691-700

दिनांक : 21/05/18

संशोधित स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी घोषणा की क्रियान्वति के क्रम में राज्य के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सड़क सुधार (Road Restoration) कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ड)लेखा/डीएलबी/2017/सड़क निर्माण/20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसमें नगर निगम कोटा क्षेत्र, कोटा में कुल राशि रु. 14.07 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण/सड़क सुधार (Road Restoration) करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति के अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा की गई अनुशंका के अनुसार नगर निगम कोटा क्षेत्र, कोटा में राशि रु. 1437.44 लाख की लागत से अतिरिक्त सड़क निर्माण/सड़क सुधार (Road Restoration) करवाये जाने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	जिला	नगर निकाय का नाम	कार्य की पूर्व में लागत	अतिरिक्त कार्य की लागत	संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
1.	कोटा	नगर निगम कोटा	14.07	14.37	28.44
योग			14.07	14.37	28.44

अन्य शर्तें व विवरण पूर्व में जारी विभागीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 20677 दिनांक 08.11.2017 अनुसार यथावत् रहेंगे। उक्त अतिरिक्त कार्य करवाने की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

  
(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ड)लेखा/डीएलबी/एसबीएम/2017-18/39692-700 दिनांक : 21/05/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. जिला कलक्टर, कोटा को उनके पत्र क्रमांक 1246 दिनांक 05.04.2018 के क्रम में।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

06. कार्यकारी निदेशक, रूडसिकों, लालकोटी स्कीम, जयपुर ।
07. सभापति, नगर निगम कोटा ।
08. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय ।
09. मुख्य अभियन्ता/परियोजना निदेशक, रूडसिको, लालकोटी स्कीम, जयपुर ।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा ।
11. सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निकाय ।
12. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
13. रक्षित पत्रावली ।

  
 (मुकुन्द माथुर)  
 मुख्य अभियन्ता

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थिति
01	...	...	...
02	...	...	...
03	...	...	...
04	...	...	...
05	...	...	...
06	...	...	...
07	...	...	...
08	...	...	...
09	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...